न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-249RAAJodhpur2024-94RTA223 Bagaram ors Vs Lakshami urf Papali etc

01. बागाराम पुत्र श्री पूनाराम जाति पटेल,
02. रूगनाथराम पुत्र श्री पूनाराम जाति पटेल
दोनो निवासीगण- पटेलों की ढाणीया सरेचन, सरेचा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. लक्ष्मी उर्फ पपली पत्नी श्री रामलाल, जाति- पटेल, निवासी- पटेलों का बास, लूणी, जिला जोधपुर।
2. हीरकी पत्नी श्री पूनाराम, जाति पटेल, निवासी- पटेलों की ढाणीया सरेचन, सरेचा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18 जून 2024 सहायक कलक्टर लूणी राजस्व मूल वाद संख्या 32/2024 श्रीमती लक्ष्मी उर्फ पपली बनाम बागाराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री हरिसिंह कच्छावाह, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 03

नि र्ण य

दिनांक : 24 अक्टूबर 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर लूणी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 32/2024 अनवान श्रीमती लक्ष्मी उर्फ पपली बनाम बागाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18 जून 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 28 जून 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 685 रकबा 5.8032 हैक्टेयर ग्राम खेडासरेचा के संबंध में धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 18 जून 2024 के जरिये वाद स्वीकार कर विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने का आदेश पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट्स ग्राम लूणी में नहीं रहते है। वे पटेलो की ढाणियां खेड़ा, सरेचा के निवासीगण है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता में विहित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थीगण पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना प्रस्तुत ट्रेकिंग रिपोर्ट के आधार पर उनकी तामील मानते हुए अपीलांट्स के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित की है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत दावे में साक्ष्य लिये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो अपास्त योग्य हैं। रेस्पोडेंट्स द्वारा अपीलार्थीगण को उनके अधिकारों से महरुम करने की नियत से वाद प्रस्तुत कर जल्दबाजी में निस्तारण करवाया है जो निर्णय खारिज योग्य है। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18 जून 2024 को अपास्त फरमाया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जावे। वकील अपीलांट्स द्वारा अपनी बहस के समर्थन में 1999(2) सी.सी. सी. पेज 91 की न्यायिक नजीर पेश की।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने के बावजूद भी वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है। धारा 99 सीपीसी के मुताबिक तकनीकी आधार पर निर्णय एवं डिक्री को उपांतरित या उल्टा नहीं जा सकता है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर तामील हेतु सम्मन रजिस्टर्ड ए.डी. डाक के माध्यम से भिजवाया जाना पाया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध पोस्टल ट्रेकिंग रिपोर्ट मुताबिक अपीलांट्स को भेजे गये सम्मन दिनांक 21.05.2024 को प्राप्त हो चुके थे। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाया जाना पाया जाता है।

प्रकरण के गुणावगुण पर अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 685 रकबा 5.8032 हैक्टेयर यानि 35 बीघा 17 बिस्वा 02 बिस्वांशी में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वादीनी एवं प्रतिवादीगण/अपीलांट्स के दर्ज हिस्से अनुसार ही विभाजन प्रस्ताव तलब किया जाना पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये अपीलांट्स के हिस्से में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रक्रिया के अनुरूप पाये जाने से अदालत हाजा की राय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लूणी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 32/2024 अनवान श्रीमती लक्ष्मी उर्फ पपली बनाम बागाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18 जून 2024 यथावत रखे जाते हैं। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोइ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर